NIT NO. 45-48

मुरलीपुरा जोन
नगर निगम ग्रेटर जयपुर
वार्षिक नाला सफाई कार्य हेतु निर्धारित शर्ते

1. नालो की सफाई करने से पूर्व सिल्ट के निशान 30–30 मीटर पर सिल्ट से 30 से.मी. की उचांई पर लाल पेण्ट से लगाने होगें।
2. संवेदक को खुले एंव कवर्ड नालों की सफाई उक्त मद के अन्तर्गत करनी होगी।
3. जिन स्थानों पर नाला ढका हुआ है वहां सफाई के दौरान कवरिंग को हटाने के लिये फेरोकवर्स/कातला/आरसीसी/लोहे का जाल इत्यादि को तकनीकी अधिकारियों के निर्देशानुसार हटाना होगा तथा हटाये गये फेरोकवर्स/कातला/जाल को सफाई उपरान्त बिना सीमेन्ट मसाला के पुनः लगाना होगा। उपरोक्त कार्य के लिये कोई अतिरिक्त व्यय देय नही होगा।
4. नाला सफाई का कार्य इस प्रकार करना अनिवार्य होगा जिससे समीपस्थ निवासियों एवं राहगीरों को आवागमन में किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो।
5. नाले सफाई का कार्य का कार्यादेश जारी होने की तिथि से दो माह में पूर्ण करना आवश्यक होगा, साथ ही इंजीनियर इंचार्ज द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी। नाले सफाई का कार्य निर्धारित समय में पूर्ण नही करने पर संविदा का अनुबन्द की शर्तो अनुसार शास्ती आरोपित की जा सकेगी जो अधिकतम कार्यादेश राशि के 10 प्रतिशत तक हो सकेंगी।
6. नाला सफाई का कार्य समाप्ति के पश्चात् वर्षाकाल में नाले में किसी भी प्रकार के अवरोध आने पर संवेदक को उसे हटाकर नाले का बहाव नियमित रहे यह सुनिश्चित करना होगा। जिसका अलग से कोई भुगतान देय नही होगा।
7. नाला सफाई कार्य के लिये दैनिक प्रगति पंजिका का निर्धारित प्रारूप में सधारंण करना होगा तथा नाला सफाई कार्य के साप्ताहिक कार्यकम का शिड्यूल सम्बन्धित अभियन्ता को उपलब्ध कराना होगा।
8. कार्य के लिये "एच" शिड्यूल में वर्णित मदों की मात्रा में कमी एंव बढोतरी हो सकती है।
9. नाले से निकाले गये मलबे को नाले से कम से कम 2 से 3 फीट की दूरी पर इस प्रकार डालना होगा जिससे आमजन को आवागमन में अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पडे तथा नाले से निकाले गये इस मलबे की ढेरियाँ नाले के सहारे (कम से कम 2 से 3 फीट की दूरी पर) 15–15 मीटर की दूरी पर बनायी जानी होगी।
10. साफ किये जाने वाले नालों की पूर्व की स्थिति एंव साफ किये जाने के बाद की स्थिति स्पष्ट करने हेतु खुले नालों हेतु विडियोग्राफी एंव बन्द नालों की फोटोग्राफी जिसमें स्थल लोकेशन स्पष्ट हो सकें ठेकेदार द्वारा कराई जावेगी, एंव बिल के भुगतान के समय विडियोग्राफी की सी.डी. एंव फोटोग्राफी बिल के साथ लगाया जाना आवश्यक होगा। जिसका पृथक से भुगतान देय नही होगा।
11. नाला सफाई एवं मरम्मत कार्य के दौरान कार्य प्रगति का बोर्ड ''कार्य प्रगति पर नगर निगम ग्रेटर जयपुर'' का सूचना पट्ट एवं चेतावनी बोर्ड लगाया जावेगा।
12. नाला सफाई के दौरान आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय संवेदक को अपने स्तर पर करने होगें। किसी प्रकार की दुर्घटना/जनहानि होने की स्थिति में संवेदक स्वंय जिम्मेदार होगा।
13. संवेदक द्वारा लेबर एक्ट के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
14. संवेदक द्वारा प्रस्तुत दर सभी प्रकार के करों को सम्मिलित मानते हुये ही मानी जायेगी।
15. नगर निगम गैराज शाखा द्वारा मलबा/सिल्ट को हटाने के पश्चात् बचे हुये मलबे को एकत्रित करना होगा।
16. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त नगर निगम ग्रेटर जयपुर के सभी निर्देशों की पालना संवेदक को निर्धारित समय पर करनी अनिवार्य होगी।
17. अन्य शर्ते GF & AR नियमों के तहत होगी।
18. राज्य सरकार द्वारा निर्देशित सभी सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करना आवश्यक होगा एवं इसमें लापरवाही बरती जाने पर होने वाली क्षति के आप स्वंय जिम्मेदार होगें।
19. नाला सफाई कार्य का निरीक्षण/प्रमाणीकरण संबंधित एस.आई./सी.एस.आई से करवाया जाना आवश्यक होगा।
20. संवेदक द्वारा समस्त नालों के शूट्स को समय–समय पर साफ करना होगा ताकि सड़क पर बहने वर्षा वाला जल नालों में प्रवाहित हो सकें।
21. संवेदक के पास नाला सफाई हेतु स्वयं के पर्याप्त सुरक्षा उपकरण (1) रिफलेक्टर जैकेट, (2) सेफ्टी शूज (3) हाथों के दस्ताने (4) सेफ्टी बेल्ट, (5) हैलमेट, (6) मास्क इत्यादि आवश्यक मात्रा में होने चाहिए
22. निविदा के साथ संवेदक को इस आश्य का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा नाले सफाई कराते समय सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करते हुये ही नाला सफाई का कार्य करवाया जावें।
23. निविदा के साथ आवश्यक सुरक्षा उपकरणों हेतु क्र.स.–21 में अंकित सुरक्षा उपकरणों के फोटोग्राफ्स संलग्न कर प्रस्तुत करने होगें। क्र.स.–21 व 22 की पालना ना करने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
24. नाला सफाई का कार्य कार्यादेश से तीन माह में पूर्ण करना होगा।
25. फाईल में आवश्यकतानुसार कार्यादेश राशि को 50% तक बढाकर पत्रावली में अंकित स्थानों से अन्यत्र भी संपादित किया जा सकता है।
26. किसी भी संवेदक द्वारा जोन में नाला सफाई कार्य की अधिकतम एक निविदा में भाग लिया जा सकेगा तथा एक से अधिक निविदाओं में भाग लेने पर दुसरी निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा।

अधिशाषी अभियन्ता के हस्ताक्षर

अधिशाषी अभियन्ता
मुरलीपुरा जोन
नगर निगम ग्रेटर

उपरोक्त वर्णित समस्त शर्तो क्रमांक 01 से 26 का कार्य के दौरान पालन किया जावेगा एवं सभी शर्ते मुझे स्वीकार है।

संवेदक के हस्ताक्षर